



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270706
CG-DL-E-06032026-270706

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1125]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1125]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

का.आ. 1177(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशित करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार की तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) की, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 1 मार्च, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सा.का.नि. 301(अ) तारीख 27 फरवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) क्रम संख्या (xvii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(xvii) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,
ओडिशा सरकार, द्वितीय तल, स्वास्थ्य निदेशालय,
एचओडी बिल्डिंग, भुवनेश्वर, ओडिशा ;

(ख) क्रम संख्या (xviii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(xviii)(क) कृषि निदेशक, कृषि विभाग, महाराष्ट्र
सरकार, कृषि आयुक्तालय, द्वितीय तल, केंद्रीय भवन, पुणे
स्टेशन, पुणे, महाराष्ट्र

(ख) कृषि निदेशक, कृषि विभाग, तमिलनाडु सरकार, 1,
वालाजा रोड, पी.डब्ल्यू.डी. एस्टेट, चेपाक, चेन्नई,
तमिलनाडु";

(ग) क्रम संख्या (xix)(ख) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(xix)(ख) डॉ. भावेश मोदी, निदेशक, आईसीएमआर-राष्ट्रीय
उपजीविकाजन्य जोखिम संस्थान (एनआईओएच),
अहमदाबाद";

(घ) क्रम संख्या (xx) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(xx) डॉ. डी. श्रीनिवास रेड्डी, निदेशक, वैज्ञानिक और
औद्योगिक अनुसंधान परिषद-भारतीय रासायनिक
प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद"

[फा. सं. 13029/02/2019-पीपी-1-भाग(1)]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पौध संरक्षण)

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 301 (अ),
तारीख 1 मार्च, 1971 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्यांक का.आ. 90 (अ), तारीख 6 जनवरी, 2026 द्वारा
अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture and Farmers Welfare)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

S.O. 1177(E).— In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby nominates the following persons as members to the Central Insecticides Board for a period of three years from the date of publication of this notification and for this purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), dated the 27th February, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 1st March, 1971, namely:-

In the said notification,-

(a) for serial number (xvii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xvii) Director of Health Services, Directorate of Health Services, Government of Odisha, 2nd Floor, Health Directorate, HOD Building, Bhubaneswar, Odisha”;

(b) for serial number (xviii) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xviii)(a) Director of Agriculture, Department of Agriculture, Government of Maharashtra, Commissionerate of Agriculture, 2nd floor, Central Building, Pune station, Pune, Maharashtra

(b) Director of Agriculture, Department of Agriculture, Government of Tamil Nadu, 1, Wallaja Road, PWD Estate, Chepauk, Chennai, Tamil Nadu”;

(c) for serial number (xix)(b) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xix)(b) Dr. Bhavesh Modi, Director, ICMR-National Institute of Occupational Hazard (NIOH), Ahmedabad”;

(d) for serial number (xx) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

“(xx) Dr. D. Srinivasa Reddy, Director, Council of Scientific & Industrial Research-Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad”

[F. No. 13029/02/2019-PP-I-Part(1)]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant protection)

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 301(E), dated the 01st March, 1971 and last amended *vide* number S.O. 90 (E), dated the 06th January, 2026.